

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ़ जिला  
भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – झंवर लाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-47 / 2022

उनवान

1. काली पुत्री श्री देवी अहीर निवासी औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. श्रीमती देऊ बाई पत्नी श्री देवी अहीर निवासी औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. रतन लाल पुत्र श्री देवी अहीर निवासी— औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)  
..... वादीगण

बनाम

1. धूला पुत्र श्री उदा अहीर निवासी— तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. गोपी पुत्र श्री उदा अहीर निवासी औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मृतक के बजाय कायम मुकाम—
  - 2/1 नारायण पुत्र श्री गोपी अहीर निवासी औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
  - 2/2 श्रीमती जानी पत्नी श्री गोपी अहीर निवासी— औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
  - 2/3 श्रीमती रतनी पुत्री श्री गोपी अहीर पत्नी श्री रामबन्द्र अहीर निवासी बावड़ी के पास, औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
  - 2/3/1 कन्हैया लाल पुत्र श्री रामचन्द्र अहीर आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता रामचन्द्र पुत्र श्री छोगा अहीर निवासी बावड़ी के पास, औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
  - 2/3/2 पुजा पुत्री श्री रामचन्द्र अहीर आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता रामचन्द्र पुत्र श्री छोगा अहीर निवासी बावड़ी के पास, औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
  - 2/3/3 ममता पुत्री श्री रामचन्द्र अहीर आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता रामचन्द्र पुत्र श्री छोगा अहीर निवासी बावड़ी के पास, औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)  
..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :-

अधिवक्ता वादीगण –श्री प्रवीण कुमार चौरडिया उप०  
प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 02/3/3 – अनु०  
राज्य पक्ष की ओर से परोकार सरकार

-:: निर्णय ::-

दिनांक 24.02.2026

यह है कि यह है कि सरहद औज्याड़ा पटवार हल्का औज्याड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) में आराजी नम्बर 1035 रकबा 0.2150 हैक्टर, आराजी नम्बर 1036 एक हजार छत्तीस रकबा 0.2150 हैक्टर भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। यह है कि वादीगण वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण ने उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 55/2017 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 14 चौदह जून 2018 दो हजार अठारह को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो को होने पर माह मार्च 2022 दो हजार बाईस में प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा आराजी नम्बर 1036 में से 0.0100 हैक्टर एवं 0.0200 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 02 का व आराजी नम्बर 1035 में से 0.1200 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा कब्जा कर अपनी आराजी में मिला दिया, जिससे दिनांक 25 पच्चीस मई 2022 दो हजार बाईस को उक्त आराजी पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमें वादीगण की आराजी नम्बर 1036 में से प्रतिवादी संख्या 01 का 0.0100 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 02 का 0.0200 हैक्टर एवं आराजी नम्बर 1035 में से 0.1200 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 02 का उक्तानुसार अवैध कब्जा पाया गया।

वादीगण की आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो का कोई हक अधिकार नहीं है। यह है कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित आराजीयात पर किये गये कब्जे को छोड़ने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो ने कोई ध्यान नहीं दिया व अन्तिम बार वादी ने दिनांक 05 पांच जुलाई 2022 दो हजार बाईस को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एक वादीगण के साथ लडाई झगडा करने पर आमदा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो ने वादीगण को धमकी दी कि वादी की मर्जी आये जो कर लेना, प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो उक्त आराजीयात से कब्जा नहीं छोडेगे तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।

इस कारण से वादीगण को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो के विरुद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहर औज्याड़ा पटवार हल्का औज्याड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) में आराजी नम्बर 1036 में से प्रतिवादी संख्या 01 का 0.0100 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 02 का 0.0200 हैक्टर एवं आराजी नम्बर 1035 में से 0.1200 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 02 के किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीगण को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। यह है कि वादीगण

को प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो के विरुद्ध विनाय वाद दिनांक माह मार्च 2022 दो हजार बाईस को कब्जा कर लेने व दिनांक 25 पच्चीस मई 2022 दो हजार बाईस को मौका पर्चा बनने व दिनांक 05 पांच जुलाई 2022 दो हजार बाईस को कब्जा छोडने से इंकार कर देने से से उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी हैं। कि वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 के विरुद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद औज्याड़ा पटवार हल्का औज्याड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1036 मे से प्रतिवादी संख्या 01 का 0.0100 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 02 का 0.0200 हैक्टर एवं आराजी नम्बर 1035 मे से 0-1200 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 02 के किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीगण को सिपुर्द कराया जाने की कब्जेयाबी डिकी वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 के विरुद्ध सादिर फरमायी जावे।


वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। तलबी करने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 2/3 फौत हो गया है जिसकी पालना में वादी वकील द्वारा दिनांक 14.5.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 व धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया तथा दिनांक 28.11.2024 को संशोधित अनवान प्रस्तुत किया। पत्रावली में संशोधित अनवान की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 2/3/3 बावजुद सूचना के उपरिथत नही होने से प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 2/3/3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपनी एकतरफा साक्ष्य में स्वयं वादीगण संख्या 03 रतन लाल पुत्र देबी अहीर निवासी औज्याड़ा तह0 हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.) के शपथपत्र प्रस्तुत किये और दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2075-2078 की प्रति, पत्थरगढी प्रकरण सं. 55/17 उनवान रतनलाल बनाम मांगीलाल वगैरह पारित आदेश दिनांकित 14.06.2018 की प्रतियां एवं इन आदेशों की पालना में रेवेन्यू इन्स्पेक्टर व पटवारी हल्का ने दिनांक 25.05.2022 को वादग्रस्त आराजियात के मौके पर जाकर पर्चा मौका बनाये जिनकी प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में प्रस्तुत की गयी। मौका देखने से पहले भू अभिलेख निरीक्षक ने उक्त प्रार्थनापत्रों में वर्णित पड़ोसियान जिसमें कि प्रतिवादी धूला पुत्र उदा अहीर निवासी तख्तपुरा एवं गोपी पुत्र उदा निवासी औज्याड़ा भी है उसको भी सूचनापत्र जारी किये थे और उनकी मौजूदगी में मौका निरीक्षण कर पर्चा मौका बनाया था।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान बताया की वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया गया है। इस कारण उक्त भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जावे। मैने वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वादी के खाते चली आ रही है। उक्त भूमि के वादी खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2075-78 से होती है। वादी के खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर कब्जा कर लिया है। जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा से होती है। जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

--: आदेश ::--

अतः वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 01 लगायत 2/3/3 ने वादीगण की ग्राम औज्याड़ा पटवार हल्का औज्याड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1035 रकबा 0.2150 हैक्टर में से 0.1200 है०, आराजी नम्बर 1036 एक हजार छत्तीस रकबा 0.2150 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 01 का 0.0100 है० व प्रतिवादी संख्या 02 का 0.0200 है० भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जाने बाबत बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है । तहसीलदार हमीरगढ़ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01, 02 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे । निर्णय अनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे । निर्णय दिनांक 24.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
(झंवर लाल, RAS)  
उपकायड अधिकारी पदेन  
सहायक, किला भीलवाड़ा  
जिला भीलवाड़ा(राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा  
(राज.)

: : मूल वाद में अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – झंवर लाल, (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-47/2022

1. काली पुत्री श्री देवी अहीर निवासी औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. श्रीमती देऊ बाई पत्नी श्री देवी अहीर निवासी औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. रतन लाल पुत्र श्री देवी अहीर निवासी- औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)  
..... वादीगण

बनाम

1. धूला पुत्र श्री उदा अहीर निवासी- तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. गोपी पुत्र श्री उदा अहीर निवासी औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मृतक के बजाय कायम मुकाम-
  - 2/1 नारायण पुत्र श्री गोपी अहीर निवासी औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
  - 2/2 श्रीमती जानी पत्नी श्री गोपी अहीर निवासी- औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
  - 2/3 श्रीमती रतनी पुत्री श्री गोपी अहीर पत्नी श्री रामचन्द्र अहीर निवासी बावडी के पास, औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
  - 2/3/1 कन्हैया लाल पुत्र श्री रामचन्द्र अहीर आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता रामचन्द्र पुत्र श्री छोगा अहीर निवासी बावडी के पास, औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
  - 2/3/2 पुजा पुत्री श्री रामचन्द्र अहीर आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता रामचन्द्र पुत्र श्री छोगा अहीर निवासी बावडी के पास, औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
  - 2/3/3 ममता पुत्री श्री रामचन्द्र अहीर आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता रामचन्द्र पुत्र श्री छोगा अहीर निवासी बावडी के पास, औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु


उपस्थित :-

अधिवक्ता वादीगण –श्री प्रवीण कुमार चौरडिया उप०  
प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 02/3/3 – अनु०  
राज्य पक्ष की ओर से परोकार सरकार

दिनांक 24.02.2026

वाद-पत्र डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 01 व 02 ने वादीगण की ग्राम औज्याड़ा पटवार हल्का औज्याड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1035 रकबा 0.2150 हैक्टर, आराजी नम्बर 1036 एक हजार छत्तीस रकबा 0.2150 हैक्टर भूमि स्थित है, प्रतिवादी 01 एक द्वारा आराजी नम्बर 1036 मे से 0.0100 हैक्टर एवं 0.0200 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 02 का व आराजी नम्बर 1035 में से 0.1200 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जाने बाबत बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है । तहसीलदार हमीरगढ़ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01, 02 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे

आज यह अन्तिम डिक्री दिनांक 24.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

  
सहायक कलेक्टर  
जिला भीलवाड़ा (राज.)  
सहायक कलेक्टर हमीरगढ़  
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा  
जयपुर